



भारत सरकार /Government of India

वस्त्र मंत्रालय/ Ministry of Textiles

पटसन आयुक्त का कार्यालय/ Office of the Jute commissioner

पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक, Patsan Bhawan, CF Block

सांतवा व आठवां तल, एक्शन एरिया-I/ 7th & 8th Floor, Action Area-I

न्यूटाउन, कोलकाता/ Newtown, Kolkata – 700156

पटसन(विपणन) /106/2018

दिनांक : 8 जुलाई , 2026

अधिसूचना

जबकि, पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खण्ड 6 (1) (iii) एवं खण्ड 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3 (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस.ओ.4577(ई) दिनांक 24 सितंबर, 2025 और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5(ई) दिनांक 18 दिसंबर, 2025, एस.ओ.310(ई) दिनांक 19 जनवरी, 2026, एस.ओ.1007(ई) दिनांक 24 फरवरी, 2026, एस.ओ.1493(ई) दिनांक 20 मार्च, 2026 तथा एस.ओ.2050(ई) दिनांक 20 अप्रैल, 2026 द्वारा संशोधन के माध्यम से कच्चे जूट बेलरों/व्यापारियों/डीलरों/एजेंसियों/कच्चे जूट के स्टॉकिस्टों को निर्देश दिए गए थे कि शून्य स्टॉक रखें तथा जूट के सामान बनाने वाले जूट मिलों/निर्माण इकाईयों को निर्देश दिए गए थे कि 45 दिनों के उपभोग से अधिक के कच्चे जूट का स्टॉक नहीं रखें।

नए जूट सीज़न की शुरुआत को देखते हुए तथा कच्चे जूट के अपेक्षित विपणन परिदृश्य को ध्यान में रखने हुए मैं, नीरज कुलहरि, उप पटसन आयुक्त एतद्वारा उपर्युक्त अधिसूचनाएं तत्काल प्रभाव से वापस लेता हूँ।

(नीरज कुलहरि)
उप पटसन आयुक्त

सेवा में

(कच्चे जूट के सभी बेलर/व्यापारी/डीलर/एजेंसी/ स्टॉकिस्ट)

(कच्चे जूट से जूट उत्पाद बनाने वाले सभी जूट मिल/निर्माण इकाईयां)

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
पटसन आयुक्त का कार्यालय
7 वीं व 8 वीं मंजिल, पटसन भवन,
सी.एफ.- ब्लॉक, एक्शन एरिया- 1,
न्यूटाउन, कोलकाता- 700 156.



Government of India
Ministry of Textiles
Office of the Jute Commissioner
7th & 8th Floor, Patsan Bhawan,
CF-Block, Action Area-1,
Newtown, Kolkata- 700 156.

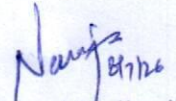
No. Jute (Mktg)/106/2018

Date: 08-07-2026

NOTIFICATION

Whereas, vide order published in Gazette of India Part II, Section 3(ii) vide notification no. S.O. 4577(E) dated 24th September, 2025, modified later by notification no. S.O. 5(E) dated 18th December' 2025, S.O. 310 (E) dated 19th January' 2026, S.O. 1007(E) date 24th February' 2026, S.O. 1493 (E) dated 20th March, 2026 and vide S.O. 2050 (E) dated 20th April' 2026 in exercise of power conferred under Clause 6(1) (iii) & Clause 5 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 directing raw jute balers/traders/dealers/agencies/ stockiest of raw jute to maintain a NIL stock and Jute Mills/Manufacturing units of Jute Goods not to hold raw jute stock of more than 45 day's consumption.

In view of start of new jute season and after considering the expected market scenario of raw jute, I, Neeraj Kulhari, Deputy Jute Commissioner, hereby withdraw the afore-mentioned notifications with immediate effect.


(Neeraj Kulhari)

Deputy Jute Commissioner

To:
(All balers/ traders/ dealers/ agencies/ stockiest of raw jute)
(All Jute Mills/ Manufacturing Units of Jute Products from raw jute)